रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 19, 2011/पौष 29, 1932
No. 10] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 19, 2011/PAUSA 29, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011

सं. एल-1/18/2010-के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 को तारीख 28-4-2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खण्ड 4, सं. 115) में अधिसूचित किया गया था तथा उक्त विनियम, सिवाय उन उपबंधों के जहां पृथक् तारीखें विनिर्दिष्ट की जानी थी, 3-5-2011 से प्रवृत्त हैं।

यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि उक्त विनियमों के उपाबंध-1 के खण्ड (5) तथा खण्ड (7) 1-1-2011 से प्रवृत्त होंगे।

उक्त विनियमों को 1-1-2011 से प्रवृत्त करने में कुछ कठिनाईयाँ उद्भूत हो गई हैं क्योंकि उक्त विनियमों के अधीन अपेक्षित कतिपय प्रक्रियाओं तथा तंत्रों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथा वे तद्पुरांत प्रवृत्त किए जाएंगे।

आयोग ने, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 के भाग 7 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय किया है कि उपाबंध-1 के खण्ड (5) तथा (7) को प्रवृत्त करने वाली तारीख 1-1-2011 के बजाय 1-1-2012 होगी।

अतः, अब, सभी संबंधितों को सूचित करने के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010, के उपाबंध-1 के खण्ड (5) तथा (7) 1-1-2012 से प्रवृत्त होंगे।

पंकज बत्रा, प्रमुख (इंजी.)

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

182 GI/2011

Printed by the Manager, Government of Ind
and Published by the Cont